फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कम्पिल

दिनांक :- 11.02.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-16/24 में वांछित 01 अभियुक्त को 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सत्येन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 16/2024 धारा 336/504/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कालेश्वर पुत्र उदयवीर धीमर निवासी ग्राम भैंसरी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कालेश्वर पुत्र उदयवीर धीमर निवासी ग्राम भैंसरी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष।

घटना का विवरण:- दिनांक 07.02.2024 को अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में वादी को गाली गलौज करना, गाली गलौज मना करने पर तमंचा निकालकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवा में फायर करके जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के संबन्ध में वादी श्री रामौतार पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम भैसरी थाना कम्पिल द्वारा मु0अ0सं0-16/2024 धारा-336/504/506 भादवि अभियुक्त कालेश्वर पुत्र उदयवीर धीमर निवासी ग्राम भैंसरी थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। कम्पिल पुलिस द्वारा दिनांक 11.02.2024 को वांछित अभियुक्त कालेश्वर उपरोक्त को 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त कालेश्वर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:–

1. मु0अ0सं0 16/24 धारा 336/504/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 17/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 365/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह
3. हे0का0 विवेक कुमार
4. का0 पंकज इन्दौलिया

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 11.02.2024

थाना मऊदरवाजा के टाप-10 अपराधी विकास यादव की जमानत फर्जी तरीके से कराने के उद्देश्य से फर्जी प्रपत्र तैयार कर मा0 न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करने वाली अभियुक्ता को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-462/23 धारा-419/420/467/468/471/209/120B भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता पूनम दुबे पत्नी संदीप कुमार निवासी-620 आवास विकास कालोनी थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण:- टाप-10 अपराधी विकास यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खँदिया थाना मऊदरवाजा के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विभिन्न अपराध कारित करने के कई अभियोग पंजीकृत है तथा जिसको थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-552/18 धारा-392 भादवि में गिरफ्तार करके मा0 न्यायालय हाजिर कर जिला जेल दाखिल किया गया था जो कि जिला कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध था। उपरोक्त अभियुक्त विकास यादव एक शातिर अपराधी व थाना मऊदरवाजा का टाप-10 अपराधी है की जमानत न होने के कारण उसके द्वारा अधिवक्ता पूनम दुबे पत्नी संदीप कुमार निवासी-620 आवास विकास कालोनी थाना कादरीगेट से अपनी जमानत करवाने के लिये सम्पर्क किया गया। जिसके बाद अधिवक्ता पूनम दुबे द्वारा यह जानते हुये कि उक्त अपराधी की जमानत कराने के लिये कोई सम्भ्रान्त व्यक्ति तैयार नही होगा। तब उसके द्वारा दिनांक 14.09.2023 को फर्जी जमानती प्रपत्र तैयार किये गये जिसमें थाना मऊदरवाजा के उपनिरीक्षक की फर्जा जमानत आख्या तैयार कर व प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर व मा0 न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से जमानत हेतु मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। मा0 न्यायालय द्वारा जमानत प्रपत्रो व जमानतदारों के संदिग्ध होने पर थाना मऊदरवाजा पुलिस से जाँच आख्या मांगी गयी। थाना पुलिस ने बाद जाँच अपनी आख्या मा0 न्यायालय को प्रेषित की जिसमें जमानत प्रपत्र व हस्ताक्षरो का फर्जी होना पाया गया। जिसके क्रम में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यू प्रभावित क्षेत्र महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.10.2023 के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-462/23 धारा-419/420/467/468/471/209/120B भादवि बनाम 1. पूनम दुबे (अधिवक्ता) निवासी-620 आवास विकास कालोनी थाना कादरीगेट 2. अजय पुत्र सर्वेश निवासी अजमतपुर थाना मऊदरवाजा 3. सुभाष दीक्षित पुत्र प्रेमस्वरूप दीक्षित निवासी अजमतपुर थाना मऊदरवाजा 4. विकास यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खंदिया थाना मऊदरवाजा पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त से ही अधिवक्ता पूनम दूबे को अपना पक्ष रखने हेतु कई बार नोटिस भेजा गया किन्तु अधिवक्ता पूनम दुबे उपरोक्त द्वारा अपनी उक्त अभियोग की घटना में संलिप्तता होने के कारण तथा मा0 न्यायालय व पुलिस के समक्ष पेश न होने के उद्देश्य से लगातार फरार चल रही थी। थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दिनांक 11.02.2024 को अभियुक्ता पूनम दूबे उपरोक्त को महिला आरक्षियो की सहायता से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. पूनम दुबे (अधिवक्ता) पत्नी संदीप कुमार निवासी 620 आवास विकास कालोनी थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता पूनम दुबे (अधिवक्ता) उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 457/22 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 462/23 धारा 419/420/467/468/471/209/120B भा0द0वि0थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. निरी0 अप0 श्री हरिगोविन्द वर्मा
3. उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार
4. मु0आ0 ललित
5. म0आ0 नीशू
6. म0आ0 मधू
7. आ0 विजय

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 11.02.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद व एसओजी टीम द्वारा पंजीकृत मु0अं0सं0- 06/2024 धारा- 395/412 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 नफर अभियुक्तगण को अवैध तमंचा, मोबाइल फोन व मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 06/24 धारा 379 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तगण को लूटी गयी मोटर साइकिल, अवैध तमंचा व मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. देवा उर्फ जनवेश पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बमिया थाना बेबर जनपद मैनपुरी।
2. मंजीत सिंह यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी मजीपुर थाना बेबर जनपद मैनपुरी।
3. अंशुल यादव उर्फ अभय पुत्र चरण सिंह निवासी बल्लमपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

घटना का विवरण:- दिनांक 15.01.2024 को करीब शाम 8.15 बजे मदनपुर कस्बा नगला तबलदार के पास वादी मुकदमा श्री अंकुर प्रताप सिंह पुत्र श्री अरविन्द कुमार निवासी ग्राम अर्राह पहाड़पुर पोस्ट अवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर मोटर साइकिल UP76 AP5812 यामाहा MT-15 रंग काला तथा Alloy Wheel को लूट लिया। वादी श्री की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 06/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान धारा 395 भादवि का अपराध पाये जाने पर बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 10.02.2024 को सफल अनावरण करते हुए कोतवाली मोहम्मदाबाद व एसओजी टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण को लूटी गयी मोटर साइकिल, अवैध तमंचा व मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा 412 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 मोबाइल वनप्लस एन्ड्रायड
3. 01 मोबाइल वीवो एन्ड्रायड
4. 01 मोबाइल एप्पल
5. 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर (लूट में प्रयुक्त)
6. 01 लूटी हुई मोटरसाइकिल यामाहा MT-15 (UP76 AP5812)

पूछताछ का विवरण :- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.01.2024 को हम बेबर जनपद मैनपुरी में तिराहे पर मौजूद थे। रात करीब 8 बजे एक व्यक्ति यामाहा MT-15 से मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की तरफ जा रहा था। हम लोगों ने आपस में एकराय होकर उक्त व्यक्ति की मोटर साइकिल व रुपये व मोबाइल लूटने के उद्देश्य पीछा किया और मदनपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद के पास धीरपुर से पहले अपनी पल्सर मोटर साइकिल से पीछा करके उस व्यक्ति को रोक लिया तथा उसके ऊपर तमंचा तानते हुए उसका मोबाइल फोन, मोटर साइकिल व पर्स छीनते हुए उससे उसका मोबाइल फोन का पासवर्ड व यूपीआई पिन पूछ लिया था तथा हमने मोबाइल फोन का पासवर्ड व यूपीआई पिन के माध्यम से रुपये निकाले थे वे रुपये हम सबने आपस में बराबर-बराबर बांट लिये थे। हम लूटी हुई मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ले जा रहे थे बेचने जाते समय हमको कोतवाली मोहम्मदाबाद व एसओजी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्तगण देवा, मंजीत व अंशुल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 06/24 धारा 395/412 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद व एसओजी टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार भाटी कोतवाली मोहम्मदाबाद
2.प्रभारी निरीक्षक अमित गंगवार एसओजी मय हमराह फोर्स
3.नि0अ0 निर्भयचन्द्र
4. व0उ0नि0 नरेन्द्र सिंह
5.उ0नि0 राहुल सिंह
6. उ0नि0 अजय सिंह
7. हे0का0 विनोद कुमार
8. का0 अजय कुमार
9.का0 मस्तराम
10. का0 अंशुमन चाहर
11.का0 अरविन्द कुमार
12. का0 सौरभ कुमार
13.का0 तरुण कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

दिनांक 11 फरवरी 2024
विकास कुमार IPS
श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर
अयोध्या

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 11.02.2024

धोखाधड़ी व जालसाजी के अभियोग में वांछित अभियुक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुमित दीक्षित पुत्र राघवेन्द्र दीक्षित निवासी नगर पालिका परिसर रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।